भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण /FISHERY SURVEY OF INDIA

न्यू फिशिंग हार्बर, ससुन गोदी, कुलाबा/NEW FISHING HARBOUR, SASSOON DOCK, COLABA

मुम्बई /MUMBAI-400 005

पत्र सं. 22-10/2016 हिन्दी   दिनांक:23.08.2018

:कार्यालय आदेश:

विषयः सरकारी कार्य हिन्दी में निष्पादन करने पर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए दावे की जाँच करने हेतु निर्धारण समिति का पुनर्गठन

संदर्भः 1) का. ज्ञा. सं. 11/12013/3/87- रा. भा. दिनांक 16.02.1988
2) का. ज्ञा. सं. 12013/18/93- रा. भा. (नीति-2) दिनांक 16.09.1998

उपर्युक्त विषय पर पूर्व आदेश दिनांक 01.09.2017 का अधिक्रमण करते हुए सदस्य के रुप में निम्न अधिकारियों के साथ निर्धारण समिति का पुनर्गठन किया जाता है ।

1)	श्री महेश कुमार फरेज़िया, निदेशक (अभियंता)	-	अध्यक्ष
2)	श्री पी. चलपति राव, सांख्यिकीविद्	-	सदस्य
3)	डॉ. अंशुमान दास, मात्स्यिकी वैज्ञानक	-	सदस्य
3)	श्रीमती मीरा वेल्लेन राजीव, क. अनुवादक	-	सदस्य/संयोजक

विचारार्थ विषयः

1. पिछले वित्त वर्ष में कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में किए गए कार्य का ब्यौरा सूचित करते हुए प्रस्तुत दावे की जाँच करना ।

2. योजना के अंतरगत प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु कर्मचारियों की पात्रता निर्धारित करना ।

(क) केवल वे ही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो ख क्षेत्र (महाराष्ट्र) में वर्ष में कम से कम बीस हजार शब्द हिन्दी में लिखे ।

(ख) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलगु, कन्नड, मलयालम, बंगाली, उडिया या असमिया हो उन्हें, 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा । ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा उससे क्रम में ऊपर है ।

(ग) आशुलिपिक/टाँइपिस्ट जो सरकारी कामकाज़ में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते है इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे ।

(घ) हिन्दी अनुवादक जो सामान्यतः अपना काम हिन्दी में करते है, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।

3. भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रति वर्ष उनके द्वारा हिन्दी में किए गए काम के आधार पर निम्नानुसार नकद पुरस्कार प्रदान करने हेतु सिफारिश करें ।

प्रथम पुरस्कार – 2 पुरस्कार – प्रत्येक रु. 5,000/-
व्दितीय पुरस्कार – 3 पुरस्कार – प्रत्येक रु 3000/-
तृतीय पुरस्कार – 5 पुरस्कार – प्रत्येक रु .2000/-

समिति वर्ष 2017-18 से संबंधित मामलों पर विचार करें तथा इसका परिणाम हिन्दी कक्ष को दिनांक 14.09.2018 तक दें । का. ज्ञा की प्रत्येक की प्रति मार्गदर्शन हेतु संलग्न है ।

((डॉ. एल. रामलिंगम)
उप महानिदेशक (मा.)/महानिदेशक (प्रभारी)

सेवा में, कंप्यूटर आलमारी